फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर
FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

कार्यालय प्राचार्य फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर

Email: ao.fcideoghar@gmail.com

<u>अति अल्पकालीन निविदा सूचना</u>

संख्या:FCID/Est/2023-24/02/Tender/01 दिनांक: 26.09.2023

फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर के लिए आउटसोर्स से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्तिकर्ता के पंजीकरण आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

राज्य सरकार के आदेश दिनांक–15.09.2014 के क्रम में फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के लिए बाहय् स्त्रोतों से वाहन की आपूर्ति किये जाने हेतु इच्छुक आपूर्तिकताओं का पंजीकरण एवं दर निर्धारण संस्थान द्वारा किया जाना है।

अतः ऐसे इच्छूक आपूर्तिकर्ता जो संस्थान द्वारा निर्धारित शर्तो के अन्तर्गत वाहन उपलब्ध कराने में सहमत है, से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि दिनांक–09.10.2023 की संध्या 12:30 बजे तक है। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं शर्ते तथा अन्य विवरण निविदा के साथ संलग्न है।

प्राचार्य

फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर

फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर
FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के लिये बाह्य स्रोतों से वाहन उपलब्ध कराने हेतु इच्छुक आपूर्त्तिकर्त्ताओं के पंजीकरण के लिए आवेदन–पत्र

आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि................................ अपराह्ण......................................बजे तक

आवेदनकर्त्ता द्वारा भरा जायेगा

1. आवेदक का नाम..

(कृपया आवेदक का आईडी यथा–चालक लाईसेन्स, पासपोर्ट, वोटर आईडी, निवास प्रमाण पत्र आदि संलग्न किया जाए)

2. पता...

....

3. दूरभाष नम्बर..

4. फैक्स नम्बर..

- G.S.T रजिस्ट्रेशन नम्बर ....
- आयकर पैन नम्बर..
- गतवर्ष में किये गये कार्यों का विवरण (यदि कोई हो) (कृपया प्रतियाँ संलग्न की जाए)
  क्लाइन्ट्स का नाम एवं पता (संलग्न करें)...
- आवेदक की विधिक स्थिति (व्यक्तिगत/पार्टनरशिप)...
- आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर कैब/मैक्सी कैब वाहनों की संख्या..
  (कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप–01 पर संलग्न किया जाए)
- पंजीकरण हेतु आवेदित वाहनों की संख्या...
  (कृपया वाहन का मेक, मॉडल आदि का पूर्ण विवरण प्रारूप–01 पर संलग्न किया जाए)
- प्रतिभूति की धनराशि रूपये–...(शब्दों में ....
  ....)

  Fixed Deposit संख्या...दिनांक..

बैक का नाम...

फ़ूड क्राफ्ट संस्थान देवघर
FOOD CRAFT INSTITUTE DEOGHAR

घोषणा–पत्र

मैं शपथ घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर की विज्ञप्ति संख्या................................ .... दिनांक.. के अन्तर्गत " आवेदनकर्त्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश" एवं "सामान्य नियम एवं शर्तें" में विहित समस्त शर्तों एवं दरों का अवलोकन किया गया है और उसे भली प्रकार समझा है। मैं संस्थान द्वारा निर्धारित शर्त्तों पर अपनी वाहन मासिक आधार पर देने के लिए सहमत हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदनकर्त्ता का नाम...

प्रारूप–1

(आवेदक के स्वामित्वाधीन मोटर कैब/मैक्सी कैब वाहनों की संख्या)

क्र. सं.	वाहन संख्या	वाहन का मेक	मॉडल	पंजीयन की तिथि	सीट क्षमता	ईंधन का प्रकार	एसी/नॉन एसी

आवेदनकर्ताओं हेतु आवश्यक निर्देश

1. उददेश्य् एवं कारण

प्रस्तुत आवेदन पत्र आमंत्रित करने का मुख्य उदेश्य् संस्थान में वाहन संचालन के क्षेत्र में कार्यरत्त सभी परिवहन व्यवसाईयों को समान दर पर वाहन उपलब्ध कराने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। अतः उक्त उदेश्य की पूर्ति हेतु संस्थान में बाह्य स्त्रोतों से वाहनों की आपूर्ति किये जाने के इच्छुक आपूर्तिकर्ताओं के संस्थान में पंजीकरण हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

2. आवेदन प्रपत्र एवं मूल्य

आवेदन प्रपत्र, समान्य नियम एवं शर्तें व अन्य विवरण निविदा के साथ संलग्न है, जिसे वेबसाईट www.ihmranchi.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

3. पात्र आवेदक

1. पात्र आवेदक से आशय ऐसे व्यक्ति/फर्म/कम्पनी से है जो इस प्रपत्र में दी गई सभी शर्तों को पूर्ण करता है। आवेदक को अपनी पात्रता के संबंध में आवश्यक अभिलेख, जो आवेदन में उसके द्वारा दिये गये कथनों की पुष्टि करते है, संलग्न करना अनिवार्य है। भागीदारी फर्म/कम्पनी की दशा में प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को Power of Attorney भी संलग्न करना अनिवार्य है।
2. आवेदन पत्र जमा करने के उपरांत किसी भी समय फर्म/आवेदक की संरचना में परिवर्तन बिना प्राचार्य की लिखित अनुमति के नहीं किया जायेगा।

4. आवेदक का उत्तरदायित्व

1. आवेदक से अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रपत्र का भलीभाँति अध्ययन कर ले और यह सुनिश्चित कर ले कि वह आवेदन की सभी शर्तों/आवश्यकताओं को पूर्ण करता है। किसी समय आवेदन की शर्तों/आवश्यकताओं की पूर्ति में विफल रहने का जोखिम आवेदक का होगा।

प्रारूप–2

क्र. सं.	वाहन का नाम	मासिक दर 1500 कि0मी0 प्रतिमाह	प्रत्येक अतिरिक्त कि0मी0 का दर

2. आवेदन पत्र में दिये गये विवरण संस्थान द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किये गये है। और इस प्रपत्र में दी गई सूचनाएँ आवेदक को प्रस्ताव तैयार करने में सहायक होगी परन्तु आवेदक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह आवेदन करने से पूर्व उसका सत्यापन अपने स्तर से अवश्यक कर लें।

5. आवेदन पत्र तैयार किया जाना

1. आवेदक द्वारा अपना प्रस्ताव इस आवेदन प्रपत्र में दिये गये प्रारूप के अनुसार ही तैयार करना है। प्राचार्य फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर ऐसे प्रस्तावों, जो निर्धारित प्रारूप में नही है, को निरस्त कर सकते है।
2. आवेदक द्वारा यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी स्थानों पर, जहाँ अपेक्षित है हस्ताक्षर कर दिये गये है। अहस्ताक्षरित/अपठनीय आवेदनों को अयोग्य मानते हुए निरस्त करने का अधिकारी प्राचार्य अथवा उनके द्वारा इस हेतु अधिकृत कोई अधिकारी का होगा।
3. आवेदक द्वारा यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि उनके द्वारा सभी अपेक्षित संलग्नक/प्रमाणित प्रतियां संलग्न कर दी गई है।
4. उपरोक्त तैयार आवेदनों को मुहर बंद लिफ़ाफ़े में रखा जायेगा और उस पर स्पष्ट रूप से निम्नवत विवरण अंकित होना चाहिए:–

   " फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के लिए बाहय स्त्रोतो से वाहन की आपूर्ति किये जाने के लिए पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र"

   उपरोक्त के अतिरिक्त लिफाफे पर आवेदक का नाम, पता एवं सम्पर्क दुरभाष संख्या भी स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।

   4.1 Technical Bid–एक मुहर बंद लिफाफे में आवेदन पत्र के साथ समस्त दस्तावेज भेजे जाए।

   4.2 Financial Bid – एक दूसरे मुहर बंद लिफाफे में अपना दर तथा किलोमीटर का विवरण दें।

5. पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन संबंधित अधिकारी को निम्नलिखित पते पर प्रेषित किया जायेगा:–

पताः– प्राचार्य फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर
C/o प्राचार्य,
होटल प्रबंधन खानपान तक़नीक एवं पोषण
आहार संस्थान, ब्राम्बे, राँची–835205

6. दरे सभी करो / G.S.T के अतिरिक्त है।
7. प्रतिभूति (Earnest Money Deposit)– सभी आवेदक राशि–12.000.00 रूपये (बारह हजार रूपये) Fixed Deposit अपने नाम से तथा प्राचार्य फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर के नाम से Pledged/गिरवी किया गया हो आवेदन के साथ जमा करें।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

1. पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन दिनांक–09.10.2023 की संध्या 12:30 बजे तक प्राचार्य के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। Fax अथवा Email आदि के माध्यम से प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. डाक में आवेदन के गुम हो जाने अथवा विलम्ब से प्राप्त होने का उत्तरदायित्व संस्थान का नहीं होगा।
3. प्राचार्य, फुड क्राफ्ट संस्थान, देवघर किसी भी समय आवेदन प्रक्रिया की तिथियों में परिवर्तन कर सकतें है।

7. जमा कराये गए आवेदन में संशोधन अथवा वापस लिया जाना

1. आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पूर्व किसी समय यदि कोई आवेदक जमा किये गये आवेदन में संशोधन करना चाहता है तो वह इस आशय का लिखिता आवेदन कर संशोधन कर सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में उसे लिफाफे पर **"संशोधित आवेदन"** स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
2. परन्तु यह कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के उपरांत आवेदन में कोई परिवर्तन / संशोधन ग्राह्य नहीं होगा।

8. **गोपनीयता**

आवेदन प्रक्रियाँ के दौरान आवेदनों के मूल्यांकन, स्पष्टीकरण अथवा संस्तुतियों के संबंध में कोई जानकारी किसी भी व्यक्ति, जो अधिकृत रूप से इस प्रक्रियाँ से संबंधित नहीं है, को नही दी जायेगी।

9. **अन्य प्रमाण पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाए**

1. इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपत पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक का नाम, शासन, राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग, निगम अथवा स्वायत्त संस्थान की काली सूची में अंकित नहीं है।
2. इस आशय का नोटरी द्वारा अभिप्रमाणित शपत पत्र पर संलग्न करना अनिवार्य होगा कि आवेदक या उसके पार्टनर या कम्पनी के विरूद्ध किसी प्रकार का पुलिस/विजीलेन्स जाँच विचाराधीन नहीं है और ना ही उन्हे किसी सक्षम माननीय न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दण्डित किया गया है।
3. आवेदक G.S.T में पंजीकृत है अथवा नहीं का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाए।
4. आवेदन में अपेक्षित विगत वर्षों में किये गये कार्यों संबंधी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।
5. इस आशय का घोषणा पत्र की आवेदक आवेदन पत्र में उल्लेखित संख्या में वाहन उपलब्ध कराने के लिए तैयार है।
6. आवेदन में अपेक्षित विगत वर्षों में किये गये कार्यों संबंधी अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति।

10. **पंजीकरण की अवधि**

उक्त पंजीकरण की अवधि पंजीकरण के दिनांक से 1 वर्ष के लिए वैध होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है।

11. पंजीकरण अवधि के मध्य दरों में संशोधन

उरोक्त दरे एक वर्ष की अवधि के लिए वैध है तथा अवधि बढ़ाई जाने की स्थिति में दरों में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन किसी भी पक्ष द्वारा नही किया जायेगा।

12. आवेदकों का पंजीकरण

आवेदक, जो अधिकतम निर्धारित दरों अथवा उससे कम पर तथा निर्धारित किलोमीटर या उससे अधिक एवं निर्धारित शर्तों पर अपनी वाहनों की आपूर्ति करने पर सहमत होंगे, उनका पंजीकरण संस्थान द्वारा किया जाएगा। **उक्त पंजीकरण के उपरान्त संस्थान द्वारा वाहन सीधे किराये पर ली जा सकेगी।** इच्छुक आवेदकों द्वारा पंजीकरण निम्नलिखित प्रकार से किये जाने हेतु आवेदन किया जा सकता है:–

वाहनों का प्रकारः– Indigo CS, Maruti Swift Dezire, Hoda Amaze, Toyota Ettios एवं उसके समकक्ष वाहन।

दीर्घकालीन– मासिक आधार पर वाहन किराये पर लिये जाने हेतु

13. आवेदनों का मूल्यांकन

13.1 आवेदनों को इस हेतु गठित समिति एवं इच्छुक आवेदकों की उपस्थिति में खोला जाएगा।

13.2 आवेदनों के मूल्यांकन के दौरान सभी शर्तों को पूर्ण करने वाले एवं इस प्रपत्र में दी गयी शर्तों से सहमत होने वाले आवेदकों को सफल घोषित किया जाएगा।

13.3 आवेदन स्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार समिति के पास सुरक्षित है, आवेदन सवीकृत करने हेतु दरों, आपूर्ति की गुणवत्ता तथा फर्म के प्रोफाईल एवं पुरानी परफारमैंस को ध्यान में रख कर निर्णय लिया जाएगा।

13.4 सफल आवेदक (Technically Qualified Bid) के आवेदन ही केवल Fiancial Bid में सम्मिलित किये जायेंगे।

13.5 Fiancial Bid का मुल्यांकन निर्धारित दरों अथवा उससे कम पर तथा निर्धारित किलोमीटर या उससे अधिक के आधार पर L1 का निर्धारण किया जायेगा।

L1 से आशय–

निविदादाता द्वारा प्रस्तावित दरों में न्यूनतम तथा प्रस्तावित किलोमीटर में अधिकतम।

13.6 Technical Bid खोलने की तिथि 09.10.2023 समय 02:00 बजे अपराह्न तथा Financial Bid खोलने का समय Technical Bid की प्रक्रियाँ पूरी करने के पश्चात् की जायेगी।

14. नियम

आवेदक द्वारा कार्य के संबंध में विभिन्न अधिनियमों/नियमों यथ–श्रम अधिनियम, न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम, पीएफ ईएसआई, मोटरवान अधिनियम आदि में विहित व्यवस्थाओं/नियमों/औपचारिकताओं का अनुपालन किया जाएगा।

15. कर एवं अन्य देयकों का भुगतान

15.1 सभी प्रकार के टोल टैक्स, प्रवेश कर, पार्किंग चार्ज आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्त्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर संस्थान द्वारा की जाएगी।

15.2 अन्य राज्यों में वाहन के आवागमन की स्थिति में अन्य प्रदेशों के कर आदि का भुगतान आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा और उसकी प्रतिपूर्त्ति वास्तविक व्यय का प्रमाण प्रस्तुत करने पर संस्थान द्वारा की जाएगी।

उपयोग में आने वाले वाहनों का All India Permit होना आवश्यक है।

<u>सामान्य नियम एवं शर्तें</u>

16. सफल आवेदन/आपूर्त्तिकर्ता द्वारा करार के दौरान काई भी वाहन जो 03 वर्ष (1095 दिन) से अधिक पुरानी हो, वाहन की आपूत्ति नहीं की जाएगी।

17. अपूर्त्ति की जानेवाली वाहन उचित गुणवत्ता (Excellent Condition) वाली होनी चाहिए। वाहन की आन्तरिक साज–सज्जा यथा–सीट कवर, तौलिया, पढ़ने के लिए बिजली, फुटमैट आदि, उत्कृष्ट क्वालिटी का होना आवश्यक है।

18. वाहन के टायर, बेट्री, हैडलाईट बीम, ब्रेक, इन्डिकेटर वाईपर, शीशा दरवाजे एवं अन्य समस्त एसेसरीज उचित एवं उत्कृष्ट गुणवत्ता के होने चाहिए।

19. वाहन नियमानुसार परिवहन कार्यालय में पंजीकृत होनी चाहिए तथा करार की अवधि में वाहन के समस्त प्रपत्र यथा–पंजीयन, परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदुषण प्रमाण पत्र आदि वैध होने चाहिए।

20. आपूर्त्ति की जाने वाली वाहन मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत ऑल इंडिया परमिट से आच्छादित होनी चाहिए। किसी भी निजी वाहन (Non-transport Vehicle) की आपूर्त्ति नहीं की जाएगी।

21. वाहन पर तैनात किए जाने वाला चालक वैध व्यवसायिक लाईसेन्स धारक होना चाहिए तथा चालक का ड्यूटी के दौरान नियमानुसार वर्दी में होना आवश्यक है। वाहन का चालक वाहन चलाने की दृष्टि से हुष्ट–पुष्ट (Medically Fit) एवं पर्याप्त अनुभवी और वाहन चलाने में दक्ष होना चाहिए। चालक का आचरण मृदुभाषी, अनुशासित होना अपरिहार्य है।

22. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे चालक, जो नशे के सेवन का आदी हो, को वाहन पर सेवायोजित नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार ऐसे चालक, जो नशे का सेवन कर वाहन चलाने अथवा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने अथवा किसी पुलिस वाद आदि में दोषी पाया गया हो, को भी वाहन में सेवायोजिन नहीं किया जाएगा। संबंधित विभाग द्वारा किसी चालक के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र की अपेक्षा की जा सकती है।

23. संस्थान से संबंधित पंजीयकर्त्ता प्राधिकारी अथवा संबंधित विभाग के अधिकारी, जिनके द्वारा वाहन किराये पर लिया गया है, द्वारा वाहन के किसी ऐसे चालक, जो अपने कर्त्तव्य का पालन उचित ढंग से करने में असमर्थ हैं अथवा उसका आचरण एवं कार्य संतोषजनक नहीं है, को हटाने हेतु आपूर्तिकर्त्ता को निर्देशि किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आपूर्तिकर्त्ता को तत्कार दूसरे चालक/स्टाफ की व्यवस्था करनी होगी।

24. संबंधित विभाग मार्ग में हाने वाली किसी प्रकार की क्षति अथवा अप्रत्याशित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। मार्ग में दुर्घटना की स्थिति में किसी प्रकार के चिकित्सा बीमा, मुआवजा एवं अन्य विधिक आवश्यकताओं का अनुपालन संबंधित आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किया जाएगा।

25. आपूर्तिकर्त्ता का यह दायित्व होगा किं चालक के पास पर्याप्त धनराशि (Cash) उपलब्ध हो ताकि यात्रा के दौरान ईंधन, मरम्मत अथवा वाहन संबंधित अन्य व्यय किया जा सके।

26. मार्ग/यात्रा के दौरान वाहन में किसी प्रकार की खराबी (Breakdown) होने पर आपूर्तिकर्त्ता को तत्काल अन्य वाहन की व्यवस्था अपने व्यय पर करनी होगी। यदि किसी समय आपूर्तिकर्त्ता वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो संबंधित विभाग आपूर्तिकर्त्ता के व्यय पर वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करने के लिए अधिकृत होगा।

27. आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विशिष्ट अतिथियों के निवास/कार्यालय/कॉलोनी से संबंधित झारखंड सरकार के सुरक्षा मानकों का अनुपालन किया।

28. आपूर्तिकर्त्ता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संबंधित अधिकारी अथवा उसके प्रतिनिधि से सम्पर्क रखा जाएगा तथा ड्यूटी के समयबद्ध संचालन हेतु उनके द्वारा दिए गए अनुदेशों का पालन किया जाएगा।

29. वाहन का प्रयोग राज्य के भीतर एवं बाहर कहीं भी किया जा सकता है।

30. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा किसी भी दशा में कार्य को पुर्न ठेके (Sub-let) पर नहीं दिया जाएगा।

31. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रारूप 1 एवं 2 में दर का प्रस्ताव समर्पित किया जाएगा। प्रारूप 2 में वाहनों को मासिक दर के आधार पर 1500 कि0मी0/प्रस्तावित किलोमीटर प्रति महीने के लिए प्रस्तावित दर उल्लेखित किया जाना है। अगर किसी माह में 1500 कि0मी0 या अंतिम प्रस्तावित किलोमीटर का पूर्ण उपयोग नहीं होता है तो वह अगले महीने में उपयोग किया जा सकेगा। इस माईलेज की गणना प्रत्येक वर्ष फरवरी में अथवा उपयोग के अंतिम महीने में की जा सकेगी। वाहन पूर्ण रूप से अधिकारी के नियंत्रण में होगा एवं प्रतिदिन औसतन 12 घंटे तक उपयोग लाया जा सकेगा।

32. अन्य जिलों में वाहन के रात्रि विश्राम करने की स्थिति में रूपये 200.00 प्रति रात्रि की दर से रात्रि चार्जेज का भुगतान पृथक से किया जाएगा। यह भुगतान दैनिक दर पर वाहन नियोजित करने पर ही किया जाएगा।

33. वाहन में लॉग बुक के अतिरिक्त एक शिकायत/सुझाव पुस्तिका भी रखना आवश्यक होगा।

34. वाहन में नियमानुसार स्टपनी, टूल किट, फर्स्ट एड बॉक्स, आग बुझाने का यंत्र (Fire extinguisher) भी आपूर्तिकर्त्ता द्वारा स्वयं के व्यय पर रखना आवश्यक है।

35. **भुगतान की रीति**

1.	कार्य की पूर्ति पर संबंधित आपूर्तिकर्त्ता को भुगतान संबंधित विभाग द्वारा दैनिक/मासिक (जैसी भी स्थिति हो) आधार सामान्यतः 30 दिनों के भीतर किया जाएगा।
2.	आयकर नियमों के अनुसार संबंधित विभाग द्वारा भुगतान के समय आयकर की कटौती (टीडीएस) की जाएगी।

36. **सेवा प्रदान करने में विलम्ब हेतु शास्ति/दर अनुबन्ध का निरस्तीकरण**

निम्नलिखित अवसरों पर कार्यप्रभारित प्रतिभूति को जब्त करते हुए दर पंजीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा–

1. यदि आपूर्तिकर्त्ता समय पर वाहन उपलब्ध कराने में विफल रहता है।
2. आपूर्तिकर्त्ता द्वारा प्रदान की जा रही सेवाएं संतोषजनक नहीं है।

आवेदक का हस्ताक्षर एवं मुहर

जाँच सूचीः–

1. आवेदन पत्र।
2. घोषणा पत्र।
3. G.S.T प्रमाण पत्र।
4. कंपनी/फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र।
5. Fixed Deposit (Pledge to Principal Food Craft Insitute, Deoghar)
6. आवेदक का लाइसेंस, वोटर आईडी, आधार कार्ड की प्रति।
7. पैन कार्ड की प्रति।
8. पूर्ण निविदा की हस्ताक्षरित प्रति।
9. अभिप्रमाणित शपथ पत्र।
10. Medical Fitness Certificate संविदा के पूर्व जमा की जायेगी।